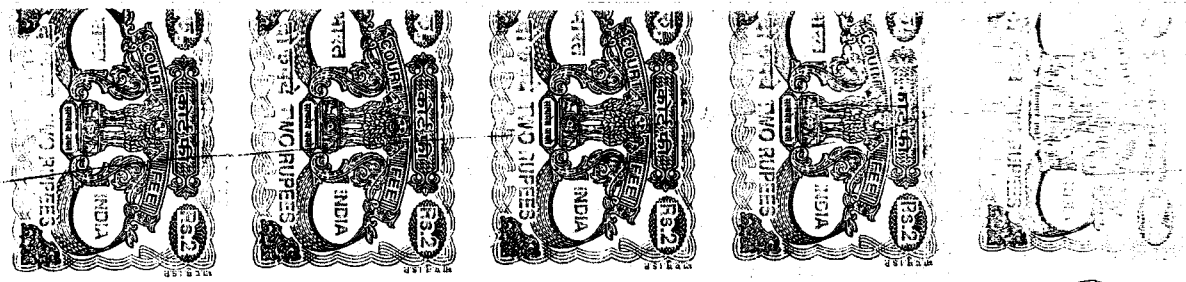

-1-

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2010 जिला-गुना टीकमगढ़ A-186-II/2011

(1) श्रीमती हरबाई पत्नी श्री रघुवर अहिरवार
(2) भागीरथ तनय गुठली चमार
(3) तिजिया बेवा लम्पू चमार
(4) श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी श्री कमलेश अहिरवार
निवासीगण- ग्राम विधा पचगईया तहसील जतारा जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)

......... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

(1) कल्लू, मोहन, बैजनाथ तनय नत्थू
(2) देशराज तनय प्यारेलाल लोधी
(3) अमर, महेन्द्र तनय देशराज
(4) मलखान, करण, मानसिंह तनय गीता लोधी
(5) दासी, रनवीर, प्रताप तनय फुन्दी नाई
(6) मुरली तनय दासी नाई
(7) छिद्दू बसोर तनय प्यारेलाल
(8) राजाराम तनय रगनाथ लोधी
(9) रामदास, रगवन तनय धरमू लोधी
(10) अन्नू, नत्थू तनय गुन्दी गड़रिया
(11) हरचरन तनय परसू बुनकर
(12) जानकी, बनेथ तनय मन्नू काछी
(13) परमू तनय निरमू लोधी
(14) दुर्जन, मनोहर तनय निरमू लोधी
(15) भगवानदास तनय हल्के लोधी
निवासीगण- ग्राम विधा पचगईया तहसील जतारा जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)
(16) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़

......... प्रत्यर्थीगण

**न्यायालय आयुक्त, सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 127/बी-121/2010-11 रेस्टोरेशन में पारित आदेश दिनांक 17.01.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 35(4) के अधीन अपील।**

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15–2–17 | प्रकरण का अवलोकन किया । अपीलार्थी द्वारा यह अपील आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 127/बी–121/2010–11 रेस्टोरेशन में पारित आदेश दिनांक 17–1–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(4) के तहत पेश की गई है ।<br>2/ अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाना चाहिए अथवा तकनीकि आधारों पर ? प्रकरण के अवलोयकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 43/अपील/02–03 में पारित आदेश दिनांक 10–2–06 के विरूद्ध द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की थी जो आवेदक की अनुपस्थिति में खारिज की गई । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन आवेदन को भी अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 17–1–11 को निरस्त किया है । नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपील का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही को नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है ।<br>4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–1–11 | |

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील 186–एक/11 जिला – छतरपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | एवं आदेश दिनांक 29–1–07 निरस्त किये जाते हैं एव्र पकरण आयुक्त, सागर संभाग सागर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील प्रकरण कमांक 517/अ–19/05–06 का निराकरण दोनों पक्षों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत गुणदोषों के आधार पर करें ।<br>पक्षकार सूचित हों एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।<br>सदस्य | |